संख्या 16/3/85-स्था• (वेतन-I)
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

...

नई दिल्ली, दिनांक 11-7-1987.

कायालिय ज्ञापन

विषय:- सशस्त्र सेनाओं की सेवा से सेवा निवृत्त/सेवामुक्त हुए भूतपूर्व कम्बाटेंट लिपिकों की सिविल पदों पर टेलीग्राफिस्ट/टेलीफोन आपरेटरों के पद पर पुनर्नियुक्ति होने के परिणाम-स्वरूप उनके वेतन का निर्धारण ।

मुझे, उपर्युक्त विषय पर इस विभाग के दिनांक 22 जनवरी, 1987 के इसी संख्या के कार्यालय ज्ञापन के संदर्भ में यह कहने का निदेश हुआ है कि 18 अप्रैल, 1986 को हुई राष्ट्रीय परिषद (जे•सी•एम•) की एक बैठक में कर्मचारी पक्ष की इस मांग पर यह स्वीकार किया गया था कि वित्त मंत्रालय के दिनांक 11 अप्रैल, 1963 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 6(8)ई•111/63 में दी गई सुविधाएं सशस्त्र सेनाओं से सेवा निवृत्त/सेवामुक्त हुए ऐसे भूतपूर्व गैर-योद्धा लिपिकों के लिए भी लागू की जाए जिन्हें डाक और दूर संचार विभाग में टेलीग्राफिस्ट/टेलीफोन आपरेटर के पद पर रु 260-480 के अब संशोधित वेतनमान रूपए 975-1600 में पुनर्नियुक्त किया गया है । तदनुसार राष्ट्रीय परिषद (जे•सी•एम•) में लिए गए इस निर्णय के अनुसरण में, इस विभाग के दिनांक 22•1•87 के उपर्युक्त कार्यालय ज्ञापन में उल्लिखित आदेश जारी कर दिए गए थे ।

(हस्ताक्षर)
(तरलोक लाल)
अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग इत्यादि
(संलग्न सूची के अनुसार)